पुलिस और आप

अपने अधिकारों को जानें

कानूनी सहायता

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

कानूनी सहायता और आप

हमारे देश में हजारों लोग जब किसी अपराध के शिकार हो जाते हैं या किसी मामले को अदालत में ले जाना चाहते हैं तो वे वकील की सेवा नहीं ले पाते हैं। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के लोग न्याय प्रणाली तक सार्थक रूप से नहीं पहुंच पाते हैं।

यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कानून प्रणाली कानूनी सहायता सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा मिले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(क) में यह निहित है कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य कारणों से वंचित है उसे न्याय हासिल करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। इस पुस्तिका में बताया गया है कि आपके कानूनी सहायता के अधिकार क्या हैं और आप किस प्रकार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कानूनी सहायता का अधिकार

- संविधान प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपने बचाव का अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) कानूनी परामर्श का अधिकार गिरफ्तारी के समय से ही शुरू हो जाता है न कि सुनवाई के चरण से। यह सुनवाई खत्म हो जाने तक ही जारी नहीं रहता है बल्कि निर्णय को चुनौती देने का आखिरी अवसर खत्म हो जाने तक जारी रहता है।
- भारत के अनुच्छेद 21 के साथ पठित

अनुच्छेद 39(क) कहता है कि कानूनी सहायता प्राप्त करना किसी भी ऐसे व्यक्ति का अधिकार है जो कानूनी सहायता का पात्र है किंतु वह एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

- वर्ष 1987 में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया जिसने विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया ताकि समाज के कमजोर तबकों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्राप्त हो सके जिससे यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो।

- यह कानून निःशुल्क विधिक सहायता को मूर्तरूप देता है। यह कानून वैसे व्यक्ति जो निर्धनता या जाति, पंथ या लिंग संबंधी संवेदनशीलता के कारण कोई मामला दर्ज करने या मामले का बचाव करने के लिए एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है, को कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि न्यायालय में उन्हें भी वकील की सेवा मिल सके।

यह अधिनियम विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित करता है, ऐसे संस्थान जो कानूनी सहायता की सुविधा देते है वह इस प्रकार हैं:

- केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। राष्ट्रीय प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन करता है;

- राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है। राज्य प्राधिकरण राज्य के उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा प्रत्येक तालुक के लिए तालुक विधिक सेवा समिति गठित करता है;
- जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा समिति होती है।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;

- न्यायालय तथा अन्य शुल्कों का भुगतान;
- किसी भी कानूनी कार्यवाही की तैयारी मामले का ड्राफ्ट बनाने और मामला दर्ज करने के शुल्क का भुगतान/पुनर्भुगतान;
- वकील या कानूनी सलाहकार को शुल्क/मानदेय का भुगतान;
- डिक्री, फैसले की प्रति या आदेश की प्रति या कानूनी कार्यवाही के किसी प्रकार के कागजात प्राप्त करने के लिए खर्चे का भुगतान/पुनर्अदायगी;
- सभी प्रकार के कागजात की छपाई और अनुवाद सहित सभी खर्चे का भुगतान/पुनर्अदायगी।

निःशुल्क विधिक सहायता के कौन हकदार हैं?

अधिनियम में यह निर्धारित है कि कौन व्यक्ति विधिक सेवा का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 12 कहती है कि निम्नलिखित व्यक्ति जिसे मामला दर्ज करना या मामले का बचाव करना है विधिक सेवा के हकदार होंगेः

- जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का है;

- निर्धन व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय उच्चतम न्यायालय में मामलों के लिए 50,000 रुपए है और अन्य न्यायालयों में आय का स्तर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो राज्यवार अलग–अलग होगा;
- जो मानवों के अवैध व्यापार से पीड़ित है अथवा भिक्षुक है;
- जो शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है;
- महिला अथवा बच्चे;
- व्यापक विनाश, जातीय दंगा, जातीय प्रताड़ना, बाढ़, सूखे, भूकम्प से प्रभावित व्यक्ति;
- औद्योगिक कर्मकार;
- सुरक्षात्मक अभिरक्षा सहित सभी प्रकार की अभिरक्षा में रखे व्यक्ति, बाल अपराध, गृह तथा मानसिक अस्पताल में रखे गए व्यक्ति, इसका अर्थ है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति चाहे वह अंडरट्रायल हो या दोषसिद्ध, वह निःशुल्क कानूनी सेवा का हकदार है।

नोटः यदि आप पात्र श्रेणी में आते हैं फिर भी समुचित विधिक सेवा संस्थान को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या अभियोजना या बचाव के लिए कोई वैध मामला विद्यमान है या नहीं। यदि कानूनी कार्यवाही के लिए दिए आपके आवेदन में कोई योग्यता नहीं है तो कानूनी सेवा नहीं प्रदान की जाएगी।

निःशुल्क विधिक सहायता के लिए किनसे मिले?

जिस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो वह राष्ट्रीय, राज्य, जिला

अथवा ताल्लुक किसी भी स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण से मिल सकता है। यह विधिक सेवा संस्थान का कर्त्तव्य है कि वह आपके मामले को समुचित विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे। सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से अनुरोध किया जा सकता है:

- ताल्लुक विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नाम–निर्देशित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश;
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी;
- सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति;
- सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति;
- राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव;
- मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष अभियुक्त प्रस्तुत किया जाता है; अथवा
- यदि जेल में रोककर रखे गए हैं तो पुलिस और जेल प्राधिकारी जो समुचित विधिक सेवा प्राधिकारी से सम्पर्क कराएगा;

यदि आप हिरासत में हैं तो यह अदालत का कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अदालत में आपका वकील हो चाहे आप अभियोजन पूर्व या अभियोजन के चरण में हो। जब आप अदालत में पेश किए जाते हैं तो अदालत को यह पूछना चाहिए क्या आपका वकील है। यदि आपके पास वकील नहीं है तो अदालत को सरकार के खर्चे पर आपके लिए तत्काल एक वकील नियुक्त करना चाहिए।

विधिक सहायता के लिए कैसे अनुरोध करें?

- संबंधित प्राधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया जा सकता है;
- यदि आवेदक पढ़ या लिख नहीं सकता है तो विधिक सेवा प्राधिकारी उस आवेदक के बयान को दर्ज करेगा और उस पर उसके अंगूठे का निशान लेगा। ऐसे बयान को आवेदन समझा जाता है;
- यदि आप आय के आधार पर आवेदन करते हैं तो आपको आय के संबंध में एक शपथ पत्र (एफिडेविट) देना होता है।

सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्त्तव्य क्या हैं?

- उसे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए;
- जब कभी भी आवश्यक हो समिति के कार्यालय अथवा न्यायालय तथा उसके लिए नियुक्त वकील के समक्ष उपस्थित होना चाहिए;
- विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील को सम्पूर्ण तथा सत्य जानकारी देनी चाहिए;
- विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील को किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा खर्चे का भुगतान नहीं करना चाहिए।

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य इस बात को बढ़ावा देना है कि राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल किया जाए। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मानदंडों के अधिक–से–अधिक अनुपालन का पक्षधर है।

हमारे कार्यक्रम हैं:

- न्याय तक पहुंच (पुलिस सुधार)
- न्याय तक पहुंच (कारागार सुधार)
- सूचना तक पहुंच
- अंतर्राष्ट्रीय वकालत और प्रोग्रामिंग

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर,
55 ए, कालू सराय
नई दिल्ली–110016, भारत
फोन: +91-11-43180200
फैक्स: +91-11-26864688
ईमेल: info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइट: http://www.humanrightsinitiative.org